संख्या- 3/2024/1820457 /47-का-2-2024

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2024**

विषय:-समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ विषयक।

महोदय,

सरकारी कर्मचारियों के लिए चरित्र पंजी में प्रविष्टि का अंकित किया जाना बहुत महत्व रखता है। यदि वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने में किसी प्रकार का विलम्ब या ढिलाई बर्ती जाती है तो उससे राज्य कर्मचारियों को हानि होने की सम्भावना बनी रहती है। शासन द्वारा समय-समय पर राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु समय-सारिणी का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2023-24 से समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इसकी समय सारिणी भी निर्गत हो चुकी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023-24 तथा इसके पश्चात् पोर्टल पर निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समूह 'क' एवं समूह 'ख' श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या यदि पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं की जाती है तथा समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

से स्वमूल्यांकन आख्या न होने के फलस्वरूप उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्राविष्टि अपूर्ण रह जाती है तो ऐसी स्थिति को उक्त अधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल तथ्य के रूप में संज्ञान में लिया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी के पदोन्नति के प्रकरणों में उक्त अवधि की सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं मानी जाएगी।

3- कृपया उक्त निर्णय से समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए समयबद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या- 1820457 (1)/47-का-2-2024, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।